(76)

67

रा.के.मु.ब.--99-1,00,000-03.

प्रपत्र आर. जी. संख्या 4

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:-प.3(2)राज-6/2003

जयपुर,दिनांक:- 8-11-04

समस्त जिला कलेक्टर,राज०।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों के कार्य हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध कराने बाबत।

महोदय,

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 व इससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक बसावटें को वर्ष 2007 तक सड़कों से जोड़ना है तथा मरु क्षेत्रों व जनजातिय क्षेत्रों के संबंध में इसका उद्देश्य 250 व इससे अधिक आबादी वाले बसावटों को 2007 तक सड़कों से जोड़ना है। प्रत्येक जिले का जिला ग्रामीण सड़क योजना (डी०आर०आर०पी०) तथा कोर नेटवर्क तैयार करना भी आवश्यक है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस योजना में भूमि अवाप्ति हेतु राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 7 वीं राज्य स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी सितम्बर,2004 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

मीटिंग में यह अवगत कराया गया कि कई ग्रामों हेतु इस योजना में सम्पर्क सड़क इस कारण बनाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु रास्ता या भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है।

राजस्व नियमों के अनुसार प्रत्येक गांवों को जोड़ने के लिये रास्ता राजकीय/राजस्व रेकार्ड में होना आवश्यक है और गांवों हेतु ऐसे सम्पर्क रास्ते नक्शों में कटे हुए होंगे। यह अलग बात है कि ऐसे रास्तो पर अतिक्रमण आदि हो गया हो। अतः राजस्व अधिकारीगण ऐसे गांवों के लिये जहां के लिये सम्पर्क सड़क उक्त योजना के अन्तर्गत बनायी जानी है, रास्तों से अतिक्रमण हटाकर उसे चिन्हित कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सूचित करें ताकि सम्पर्क सड़क बन सके। यदि गलती से किसी गांव के रिकार्ड में रास्ता पूरी तरह नहीं दिखाया गया है तो उसे तुरन्त दिखाया जाकर व उसे चिन्हित किया जाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को सूचित करें। कुछ मामलों में हो सकता है कि यह रास्ते अधिक टेटे-मेटे हो या कुछ स्थानों पर सकड़े हो। ऐसे मामलों में रास्तों के एलाईनमेन्ट को सही करने के लिए यदि थोड़ी बहुत भूमि की आवश्यकता हो तो संबंधित काश्तकार को समझा कर भूमि छोड़ने हेतु तैयार करने का प्रयत्न करें या पड़ोस में सिवायचक भूमि उपलब्ध हो तो जितनी रास्ते हेतु काश्तकार की भूमि ली जावे तो उतनी ही भूमि सिवायचक भूमि में से देने के लिए राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवायें जावें।

इस योजना को राज्य सरकार महत्त्वपूर्ण मानती है, इस कारण जिला कलेक्टर तुरन्त अपने स्तर पर संबंधित राजस्व अधिकारियों व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग लेकर,प्रत्येक मामले को देखें और रास्ते हेतु भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करें। यदि किसी मामले में राजस्व विभाग से किसी निर्णय की आवश्यकता हो तो तुरन्त राजस्व विभाग से सम्पर्क कर निर्णय प्राप्त करें। यह मोनीटरिंग समय-समय पर कलेक्टर करते रहे, ताकि योजना की क्रियान्वयन में रास्तें की भूमि संबंधी समस्या न आवें।

प्रमुख शासन सचिव(राजस्व)